न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर०ए०एस०

(1) प्रकरण संख्या 1 / 2021 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. विरजी पिता स्वर्गीय श्री केशीया, जाति भील, निवासी कानड़ा, पटवार हल्का डूंगर, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. देवजी पिता स्वर्गीय श्री केशीया, जाति भील, निवासी कानड़ा, पटवार हल्का डूंगर, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. लाला पिता स्वर्गीय श्री केशीया, जाति भील, निवासी कानड़ा, पटवार हल्का डूंगर, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. हुरजी पिता स्वर्गीय श्री केशीया, जाति भील, निवासी कानड़ा, पटवार हल्का डूंगर, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. नगजी पिता स्वर्गीय श्री केशीया, जाति भील, निवासी कानड़ा, पटवार हल्का डूंगर, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

(2) प्रकरण संख्या 2 / 2021 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. विरजी पिता स्वर्गीय श्री केशीया, जाति भील, निवासी कानड़ा, पटवार हल्का डूंगर, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. देवजी पिता स्वर्गीय श्री केशीया, जाति भील, निवासी कानड़ा, पटवार हल्का डूंगर, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. लाला पिता स्वर्गीय श्री केशीया, जाति भील, निवासी कानड़ा, पटवार हल्का डूंगर, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. हुरजी पिता स्वर्गीय श्री केशीया, जाति भील, निवासी कानड़ा, पटवार हल्का डूंगर, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. नगजी पिता स्वर्गीय श्री केशीया, जाति भील, निवासी कानड़ा, पटवार हल्का डूंगर, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ.– 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी प्रकरण संख्या 64/2007 प्रा०डिक्री दिनांक 18.06.2009 व अंतिम डिक्री दिनांक 27.05.2010

———:::———

उपस्थित(वक्तबहस)
1. श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाशक अपीलान्टगण
2. श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक रेस्पो. सं. 1, 2
3. श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3

———:::———

निर्णय

दिनांक 29–08–2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 स्वर्गीय केशिया के पुत्र एवं पत्नी होकर उसके संयुक्त खातेदारी एवं स्वामित्व की कृषि आराजी नंबर 805, 951, 968 से 972, 976 से 979 कुल किता 11 रकबा 5.2800 हैक्टर भूमि ग्राम कानेडा में स्थित है। केशिया का देहावसान हो चुका है एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर आपसी विभाजन कर अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। आपसी विभाजन में वादीगण के हिस्से व कब्जे में आये आराजी नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:55:39 IST
Reason: SelfAttested

968 रकबा 1.4100 हैक्टर, आराजी नंबर 970 रकबा 0.3600 हैक्टर एवं आराजी नंबर 972 रकबा 1.2500 हैक्टर में से 0.8700 हैक्टर कुल खेत 3 रकबा 2.6800 हैक्टर भूमि वादीगण के हिस्से में रखा जाकर उक्त भूमि विभाजन में वादीगण के कम की जाकर वाद पत्र की कमल संख्या 1 वर्णित आराजियात का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत विभाजन किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के हिस्से में आयी उपरोक्त आराजियात से वादीगण को बेदखल नहीं करें, अनाधिकृत प्रवेश नहीं करें एवं वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया गया तथा निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण को बंटवारे के समय बराबर–बराबर हिस्सा मिला है, उसी अनुसार प्रतिवादीगण खेती करते चले आ रहे हैं। वादीगण के खेतों पर प्रतिवादीगण ने कभी भी अतिक्रमण नहीं किया। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18–06–2009 से वादीगण का वाद प्रारम्भिक डिक्री किया तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 25–07–2010 को अंतिम डिक्री जारी की।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18–06–2009 से रूष्ट होकर अपीलान्ट ने अपील संख्या 1/2021 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25–07–2010 के विरूद्ध अपील संख्या 2/2021 इस न्यायालय में दिनांक 22–01–2021 को प्रस्तुत की गयी है।

दोनों अपीलों के साथ अपीलान्ट द्वारा दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की है, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 26–08–2020 को होने से प्रमाणित प्रतियां दिनांक 31–12–2020 को प्राप्त होते ही अपील अन्दर मियाद पेश कर दी। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर पत्रावली पर मनन किया। अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें 10 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो कारण बताये हैं वह न तो उचित हैं, न ही इतने लम्बे विलम्ब का पर्याप्त कारण हैं, जबकि देरी से प्रस्तुत अपील में प्रत्येक दिन हुई देरी का स्पष्ट एवं पर्याप्त कारण बताना आवश्यक है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्टगण व रेस्पोन्डेन्टगण सगे भाई होकर एक ही गांव में निवास करते हैं। ऐसी स्थिति में 10 वर्षो तक उन्हें निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो, विश्वसनीय प्रकट नहीं होता है। तद्नुसार उक्त दोनों अपीलें बेरून मयाद होने से इसी आधार पर खारिज योग्य है।

अतः दोनों अपीलें बेरून मयाद होने से खारिज की जाती हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18–06–2009 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 27–07–2010 यथावत रखी जाती हैं। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29–08–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:55:39 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत......................भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰..............मुकाम..............उदयपुर............
व इजलास .... अनीता मीना, आर॰ए॰एस॰ ....

वीरजी पिता स्व.केशीया, जाति भील, निवासी कानड़ा, पटवार हल्का डूंगर, तह. घाटोल, जिला बांसवाड़ा व अन्य	बनाम	हुरजी पिता स्व.केशिया, जाति भील, निवासी कानड़ा, पटवार हल्का डूंगर, तह. घाटोल, जिला बांसवाड़ा व अन्य

अपील नं॰................1/2021..................व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी........
...........घाटोल.......... मुकाम..................मुवर्खे.................18..................माह.................06........................2009

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.......................29....माह.................08.......सन् 2022 रूबरू........पक्षकारान
व हाजरी.................श्री जयेन्द्र पुरोहित..................मिनजानिब अपीलान्ट व...................श्री यशपाल गुप्ता

...........रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18–06–2009 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.................X.......)...............रूपये .... X......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........29......माह.......08...........2022 को जारी किया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:55:39 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत......................भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ...............मुकाम..............उदयपुर............
व इजलास .... अनीता मीना, आर.ए.एस. ....

वीरजी पिता स्व.केशीया, जाति भील, निवासी कानड़ा, पटवार हल्का डूंगर, तह. घाटोल, जिला बांसवाड़ा व अन्य **बनाम** हुरजी पिता स्व.केशिया, जाति भील, निवासी कानड़ा, पटवार हल्का डूंगर, तह. घाटोल, जिला बांसवाड़ा व अन्य

अपील नं.................2/2021..................व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी........
...........घाटोल......... मुकाम..................मुवर्खे.................27..................माह.................05........................2010

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.......................29....माह.................08.......सन् 2022 रूबरू........पक्षकारान व हाजरी.................**श्री जयेन्द्र पुरोहित**..................मिनजानिब अपीलान्ट व...................**श्री यशपाल गुप्ता**

...........रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 27–05–2010 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.................**X**.......)...............रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........29......माह.......08...........2022 को जारी किया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:55:39 IST
Reason: SelfAttested